

RENEWAL

FORM 'A 2'
ACKNOWLEDGEMENT
{See Clause 8(3)}.



907
197

Letter No- 5/F-204/89 (खंड)

205

/Agri., Patna, Dated 19/03/2019

Received from M/s Indian Potash Ltd. a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number 18 Dated 22-01-2019 deposited in State Bank of India, Baily Road, Patna.

This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied for, (as mentioned in table below), till 29-03-2022 unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna
Date.....

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 91(R)

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Indian Potash Ltd. Style- Wholesale Dealer	402 Vasundhara Metro Mall, 4 th Floor, Potash Bhawan Near Rajapur Pul, Eash Boring Canal Road, Patna-1	Smt. Binda Devi, W/o.Late Yadunandan Paswan, Sonaru Road, Fatuha, Patna.	1-MOP 2-DAP 3-Urea (Neem Coated) 4-NPK 16:16:16 5-APS (20:20:0:13) 6-SSP (P) & G	Imported Do Do Sri Krishna fertilizer Ltd, Muzaffarpur.

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

Mr. K.D. Tyagi (Chief Manager)
Potash Bhawan
402, Vasundhara Metro Mall,
Eash Boring Canal Road, ...
Near Rajapur Pul,
Patna-1

3
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna
/Agri., Patna, Dated 19/03/2019

Memo No. 205

Copy forwarded to All Joint Directors of Agriculture & District Agriculture Officers for kind information and necessary action.

Amit Kr.
Assistant

Rajendra Kr. Verma
Dy. Dir.(Agro)

Dr. Brejesh kumar
Joint Dir. (Agro)

18-03-19
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

उर्वरक कोषांग।

पत्र संख्या— 5/F-204/89 (खंड)

२०६

/क०, पटना, दिनांक 19/03/2019

कार्यालय आदेश

मे० इंडियन पोटाश लि० के विपणन प्राधिकार पत्र संख्या— 91(R) दिनांक 06.05.2016 वैधता तिथि 30.03.2019 को दिनांक 29.03.2022 तक के लिए नवीकृत किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश, के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति

विश्वासभाजन

ज्ञापांक : २०६

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा बिक्री किये गये उर्वरको का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक : 19/03/2019

ज्ञापांक : ००६

प्रतिलिपि:- मे० इंडियन पोटाश लि०, 402 वसुंधरा मेट्रो मॉल, चतुर्थ तल, 'पोटाश भवन' नियर राजापुर पुल, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना- 1 को सूचनार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

दिनांक : 19/03/2019

(अमित)

सहायक

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)

संयुक्त निदेशक(शष्य)

(डा० ब्रजेश कुमार)

संयुक्त निदेशक (शष्य)